RSWM LIMITED

CIN:L17115RJ1960PLC008216

Registered Office: Kharigram,

P.O. Gulabpura – 311 021, Distt. Bhilwara, Rajasthan Phone: +91-1483-223144 to 223150, 223478, Fax: +91-1483-223361, 223479

Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector – 1, Noida – 201 301 (U.P)

Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841

E-mail: rswm.investor@Injbhilwara.com; Website: www.rswm.in
NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE TO STIARLINGEDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account
(As per Section 124 (6) of the Companies Act, 2013)

Notice is hereby given to the Shareholders pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read

with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") and as amended subsequently. The IEPF Rules 2016, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid /claimed for the last 7 (Seven) years from financial year 2010-11, have to be transferred to Demat account of IEPF as per

the said Rules.

The Company has sent Individual notices at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed for last 7 (seven) years, advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio nos. or

Accordingly, the concerned shareholders are requested to reply and claim their entire unclaimed

DP ID/ Client ID, etc. on its websites i.e. www.rswm.in.

dividend before due date. The unclaimed interim dividend for the financial year 2010-11 will be due for transfer on 10th March, 2018 and will be transfered on or before 9th April, 2018. In case the Company/ Registrar and Transfer agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company will be compelled to transfer such shares to the Demat account of IEPF. Shareholders may note that in case of transfer of physical shares the Company would issue duplicate share certificate(s) and inform the depository to dematerialize the same to effect the transfer in favour of the IEPF authority and for the shares held in Demat mode, it will be directly transferred to IEPF authority with the help of depository participants (DPs). No claim shall lie against the Company in respect of such shares.

However, shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares (except Right issue), if any, can be claimed back from IEPF authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact Registrar and Transfer Agent;

MCS Share Transfer Agent Ltd

(Unit: RSWM Ltd.)

F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020

Phone No. 011-41406149-52; Fax No. 011-41709881

Email Id: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

For **RSWM LIMITED**

Date: 19.12.2017

Place: Noida (U.P.)

Surender Gupta

Company Secretary

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा जिला भीलवाडा-311021, राजस्थान फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाडा टॉवर्स. ए-12. सेक्टर-1. नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841 ईमेल: rswm.investor@Injbhilwara.com; वेवसाइट: www.rswm.in

अंशधारकों हेतु सूचना

अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार) कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016

(आईईपीएफ नियम 2016) के प्रावधानों एवं तत्पश्चात संशोधित के अनुपालन में अंशधारकों को एतद द्वारा सचित किया जाता

है। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों जिनके सम्बन्ध में लगातार गत् सात बर्षों लगातार लामांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं। अतः ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2010—11, से लाभांश की अदायगी / दावा नहीं किया गया है, को कथित नियम के अनुसार आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है। कंपनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लामांश का दावा गत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लामांश का दावा करने

हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर, व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की है। कंपनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर अपलोड कर दिया है।

अपलाड कर ।दया ह।

तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वितीय वर्ष 2010—11 हेतु गैर—दावाकृत अंतरिम लाभांश 10 मार्च, 2018 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा 9 अप्रैल 2018 अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कंपनी /रिजस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी ऐसे अंशों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने हेतु बाध्य होगी। अंशधारक ध्यान में रखें कि भौतिक अंशों के हस्तांतरण के मामले में कंपनी डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और आईपीईएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी और डीमैट प्रकार के अंशों के सम्बन्ध

में, यह डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीघे आईपीईपी प्राधिकरण को हस्तांतिरत कर दिया जाएगा। इन अंशों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। हांलािक, अंशाधारक कृपया ध्यान दें कि आईड्पीएफ को हस्तांतिरत अंशों को सभी एकत्रित लामों सिहत (राइट्स इशू के अतिरिक्त), यदि हो, आईपीईपी प्राधिकरण से आईड्पीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेत्, अंशाधारक रिजस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

(यनिटः आरएसडब्ल्यएम लिमिटेड)

एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज –1, नई दिल्ली–110 020 फोन नंबर 011–41406149–52, फैक्स नंबर 011–41709881

र्फान नवर 011—41406149—52, फक्स नवर 011—4170988 ईमेल आईडी: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

कृते आर एस डब्लू एम लिमिटेड

दिनांक : 19.12.2017 स्थान : नोएडा (उ.प्र.) सुरेन्दर गुप्ता

कम्पनी सचिव